

| दिनांक | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जौ इस हुकम की तामील ने जारी हुए |
|---------|--|--|
| 9-7-24 | <p>बाद / प्राथनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 26-7-24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> | |
| 26-7-24 | <p>पत्रावली पेश हुई, तकील प्राप्ति उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल लेकर रजि० डिलेवरी रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया गया। विपक्षीगण को अडिवा बर कक कक कर आवाजे डिलायी जाने के बाद की उपर नली। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही छिपे जाने का अडिवा दिया जाता है तकील प्राप्ति का शा० प० स्वीकार किया जाकर जिले के प्रबन्ध से लिखा जाकर शा० प० किया गया पत्रावली फाइल शुद्ध होकर जम्नर से कर ले।</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भोलवाड़ा</p> | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 257/24 प्रा०पत्र

1- श्री उदयलाल श. श्री लक्ष्मणराजी निवासी- किशनपुरा तहसील माण्डल

प्राथी

बनाम

1- श्री माधु श. श्री माधु गाडरी निवासी- किशनपुरा तहसील- माण्डल (वगैरा)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 26-7-24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का आलमारा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 584/519 कुल किता 01 रकबा 0.7588 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09-07-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण में अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम किशनपुरा पटवार हल्का आलमारा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 584/519 कुल किता 01 रकबा 0.7588 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलमारा को 500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा